विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में चार अध्याय शामिल हैं। अध्याय-I और III क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के लेखे एवं वित्त के विहंगावलोकन प्रस्तुत करते हैं। अध्याय-II में दो निष्पादन लेखापरीक्षा एवं लेनदेनों की लेखापरीक्षा के चार अनुच्छेद शामिल हैं तथा अध्याय-IV में एक निष्पादन लेखापरीक्षा एवं लेनदेनों की लेखापरीक्षा के चार अनुच्छेद शामिल हैं जो कि क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय लेनदेनों की लेखापरीक्षा में पाए गए हैं।

इस विहंगावलोकन में इस प्रतिवेदन में सम्मिलित महत्वपूर्ण निष्कर्षों का सांराश प्रस्तुत है।

(अ) पंचायती राज संस्थाएं

1. पंचायती राज संस्थाओं के लेखे एवं वित्त का विहंगावलोकन

यद्यपि राज्य सरकार ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित सरलीकृत लेखांकन प्रारूपों को स्वीकार कर लिया, पंचायती राज संस्थाएं परम्परागत प्रारूपों में लेखों का संधारण जारी रखे हुए हैं। पंचायती राज संस्थाओं के वित्त के डाटाबेस अभी तक विकसित नहीं किया गया था। पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न स्तरों की प्राप्तियों एवं व्यय के संबंध में राज्य स्तर पर लेखों के समेकन एवं संकलन की कोई प्रणाली नहीं थी। पंचायती राज विभाग के निर्देशों के बावजूद भी पांच जिला परिषदों (पंचायत प्रकोष्ठ) ने ₹ 4.85 करोड़ की खनिजों पर रॉयल्टी के अंश ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित नहीं किया।

(अनुच्छेद 1.6.2 एवं 1.8.1)

2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की 16 जिलों में निष्पादन लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि राज्य सरकार ने अपने अंश को देरी से जारी किया, सरपंचों को अनाधिकृत अग्रिम (₹ 40.19 लाख), अधिक प्रशासनिक व्यय (₹ 73.59 करोड़), निधियों का गलत वर्गीकरण (₹ 7.34 करोड़), डाकघरों से वसूली का अभाव (₹ 4.18 करोड़) तथा मनरेगा को दो योजनाओं के अव्ययित शेष ₹ 2.33 करोड़ के हस्तांतरण का अभाव के दृष्टान्त थे। मजदूरों को मजदूरी का देरी से भुगतान/भुगतान का अभाव, निष्फल व्यय (₹ 10.22 करोड़), ₹ 48.21 करोड़ के अनाधिकृत रोजगार, निर्धारित सीमा के पश्चात सामग्री लागत पर ₹ 64.68 करोड़ के व्यय, अपूर्ण कार्यो पर ₹ 277.12 करोड़ के व्यय, गैर-अनुमत्य कार्यों पर ₹ 30.66 करोड़ के व्यय एवं वित्तीय प्रावधानों के पालना के बिना सामग्री क्रय (₹ 20.79 करोड़) जैसी कमियों के दृष्टान्त भी ध्यान में आए। लेखापरीक्षा के द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन में 12 कार्य अस्तित्व

में नहीं पाए गए एवं लेखों के संधारण का अभाव, सामाजिक अंकेक्षण एवं अनुश्रवण में कमी ध्यान में आई।

(अनुच्छेद 2.1)

3. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम का क्रियान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा

पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम की सात जिलों में निष्पादन लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि अनुदान के धीमे उपयोजन के कारण राज्य को ₹ 188.99 करोड़ की सहायता से वंचित होना पड़ा तथा दूसरी ओर ₹ 163.83 करोड़ विकास निधि में अनुपयोजित पड़े थे, उक्त दोनों कार्यक्रम के कुल परिव्यय का 35 प्रतिशत थे। इसके अतिरिक्त, कम्प्यूटरों के क्रय पर राशि ₹ 2.98 करोड़ की निधियों का अवरूद्ध रहने, ₹ 13.73 करोड़ की निधियों का विपथन, ₹ 19.98 करोड़ की अधिक राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतीकरण, ₹ 5.85 करोड़ का गैर-अनुमोदित कार्यों पर अनियमित व्यय तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम की निधियों के उपयोजन का अभाव के प्रकरण ध्यान में आए। लक्षित कर्मियों के केवल एक प्रतिशत को रोजगारोन्मुखी पेशे में प्रशिक्षण दिया गया।

(अनुच्छेद 2.2)

4. लेनदेनों की लेखापरीक्षा

छः जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) द्वारा स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना अवसंरचना निधियों से, स्वरोजगारियों को उनकी परिसम्पतियों को उपयोग लायक बनाने के लिए अत्यावश्यक कमियों की पूर्ति के लिए उपयोग करने के बजाए लाइन विभाग एवं सहकारी समितियों को ₹ 1.75 करोड़ की निधियां स्वीकृत करना, दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में था।

(अनुच्छेद 2.3)

जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), भरतपुर द्वारा बिना शिक्षा विभाग की सहमति एवं समन्वय के आवासीय विद्यालय भवनों के निर्माण में अनुपयुक्त नियोजन से ₹ 1.59 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

(अनुच्छेद 2.4)

(ब) शहरी स्थानीय निकाय

5. शहरी स्थानीय निकायों के लेखे एवं वित्त का विहंगावलोकन

2010-11 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों का 'निजी राजस्व' उनकी कुल प्राप्तियों का केवल 35.21 प्रतिशत रहा तथा जिससे वे केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के अनुदानों एवं

ऋणों पर आश्रित थे। वर्ष 2011-12 के लिए प्राप्तियों एवं व्यय के आंकड़े निदेशालय स्तर पर संकलित नहीं थे। वर्ष 2010-11 के वार्षिक लेखे उपार्जन आधार के बजाए नगद आधार पर परम्परागत प्रारूपों में तैयार किए जा रहे थे।

(अनुच्छेद 3.3.1 एवं 3.4)

6. एकीकृत आवास एवं गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा

एकीकृत आवास एवं गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि 69 परियोजनाओं के लिए कुल स्वीकृत राशि ₹ 1,059.77 करोड़ में से, मात्र ₹ 236.44 करोड़ (22 प्रतिशत) का उपयोग किया गया जिसके परिणामस्वरूप लक्षित आवासों का मात्र 13 प्रतिशत का ही निर्माण किया गया। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि ₹ 123.43 करोड़ के कार्यों का निष्पादन ऐसे क्षेत्रों में करवाया गया जो गन्दी बस्ती की योग्यता नहीं रखते थे। ऐसे परिवारों को सहायता देना जो कि कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित नहीं थे (₹ 37.55 करोड़), अवसंरचना विकास कार्यों पर व्यय (₹ 13.54 करोड़) जो कि अभिकल्पित नहीं थे, निधियों का विपथन (₹ 3.84 करोड़) और आवास खाली रहने (₹ 23.75 करोड़) या उनके अतिक्रमण होने (₹ 1.13 करोड़) के प्रकरण भी ध्यान में आए।

(अनुच्छेद 4.1)

7. लेनदेनों की लेखापरीक्षा

राज्य सरकार के आदेशों के उपरान्त भी, 22 नगरपालिका निकायों ने मोबाइल टॉवरों पर पंजीयन (एक मुश्त) एवं वार्षिक प्रभार राशि ₹ 1.81 करोड़ की वसूली नहीं की।

(अनुच्छेद 4.2)

नगर परिषद, ब्यावर द्वारा बाह्य विकास शुल्क की वसूली नहीं किए जाने के कारण ₹ 93.49 लाख के राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 4.3)

नगर निगम, जयपुर द्वारा वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की पहचान किए बिना एवं उनसे आरम्भिक अंशदान की वसूली का अभाव के कारण ₹ 2.22 करोड़ की निधियों का अवरोधन रहा।

(अनुच्छेद 4.5)